

No. B-7473

Jabalpur, the 11th October 2023

In exercise of the powers conferred by article 227 of the Constitution of India read with section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No.19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, Namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in chapter XXX, in rule 594-A, for sub-rule (28), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(28) The maximum chargeable rate shall be Rs. 25/- per page for computer typing and Rs. 20/- per page for manual typing, as the case may be, subject to maximum limit of Rs.1000/- (in case of computer typing) and Rs. 800/- (in case of manual typing) on a petition or other document.”

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्र. बी-7473

जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 और मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एतद्वारा, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय तीस में, नियम 594-क में, उप-नियम (28) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(28) किसी अर्जी या अन्य दस्तावेज पर 1000/-रूपए (कंप्यूटर टंकण की दशा में) एवं रूपए 800/- (हस्त टंकण की दशा में) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अधिकतम प्रभार्य दर, यथास्थिति, कंप्यूटर टंकण हेतु 25/- रूपए प्रति पृष्ठ एवं हस्त टंकण (मैनुअल टायपिंग) हेतु 20/- रूपए प्रति पृष्ठ होगी।”।

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

In exercise of the powers conferred by article 227 of the Constitution of India read with section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal), Namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in Chapter XXXIX, for Rule 794B, the following rule shall be substituted, namely :-

“794B. The maximum chargeable rate shall be Rs. 25/- per page for computer typing and Rs. 20/- per page for manual typing, as the case may be, subject to maximum limit of Rs.1000/- (in case of computer typing) and Rs. 800/- (in case of manual typing) on a petition or other document.”

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय उन्तालीस में, नियम 794ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"794ख. किसी अर्जी या अन्य दस्तावेज पर 1000/-रुपए (कंप्यूटर टंकण की स्थिति में) एवं रूपए 800/- (हस्त टंकण की स्थिति में) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अधिकतम प्रभार्य दर यथास्थिति, कंप्यूटर टंकण हेतु 25/- रूपए प्रति पृष्ठ एवं हस्त टंकण (मैनुअल टायपिंग) हेतु 20/- रूपए प्रति पृष्ठ होगी।"

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.